संख्या-91/2021/1194/सैंतीस-2-2021-1(67)/02

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-04 अगस्त, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-83 के अधीन सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ का सुदृढीकरण (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-25/प.-1/9ख/सू.प्रशि.केन्द्र/2/2021-22, दिनांक-01.07.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ का सुदृढीकरण के निम्नलिखित मानक मदों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
12-कार्यालय, फर्नीचर एवं उपकरण	0.50
18-प्रकाशन	0.30
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.30
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.40
29-अनुरक्षण	2.00
42-अन्य व्यय	0.75
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.75
योग-	**5.00**

(रूपये पाँच लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं निर्धारित मदों में योजना हेतु निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) धनराशि का कोषागार से आहरण एवं व्यय तभी किया जायेगा जब निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद योजना के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन/संचालन किया जाना आवश्यक एवं अपरिहार्य है।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद/प्रयोजन में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।

(4) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग योजनान्तर्गत धनराशि व्यय करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में नहीं जमा किया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशानुसार आगणन पर सुसंगत वित्तीय नियमों के आलोक में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने व कार्यदायी संस्था का निर्धारण कराने के उपरान्त ही मानक मद 29-अनुरक्षण हेतु स्वीकृत धनराशि का आहरण किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-08-सूकर प्रशिक्षण केन्द्र एवं डायग्नोस्टिक प्रयोगशाला, अलीगढ का सुदृढीकरण' की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक-22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>पृ0सं0-91/2021/1194(1)/सैंतीस-2-2021- तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
5. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।